न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गोपालगंज

भरण–पोषण वाद सं0–143/2024

काजल कुमारी उर्फ छोटी कुमारी .... आवेदिका

बनाम

शत्रुधन कुमार साह .... विपक्षी

विद्वान अधिवक्ता आवेदिका की ओर से : श्री चुन्नु कुमार
विद्वान अधिवक्ता विपक्षी की ओर से : श्री रामव्यास तिवारी

उपस्थित : श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह,
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
गोपालगंज
आदेश की तिथि : 12.08.2025

आदेश

12.08.2025 **1.** वाद पुकारा गया। आवेदिका अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय मे उपस्थित है। विपक्षी की ओर से दिनांक 07.04.2025 को एकपक्षीय आदेश को रिकॉल करने हेतु आवेदन दिया गया। आवेदिका की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल किया गया।

2. विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि आवेदिका द्वारा विपक्षी के विरूद्ध 498ए का मोकदमा दाखिल किया गया है, जिसमे वारंट होने के बाद विपक्षी को इस वाद की जानकारी हुई है। विपक्षी इस मोकदमा के समय विदेश मे था और दिनांक 21.02.2025 को विदेश से वापस आया है। विपक्षी की ओर से पासपोर्ट और हवाई जहाज टिकेट की छायाप्रति भी दाखिल की गई है। अतः न्यायहित मे दिनांक 29.01.2025 को पारित एकपक्षीय आदेश को रिकॉल करने की कृपा की जाए।

3. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता की ओर से दिनांक 20.05.2025 को विपक्षी के आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल किया गया। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी के उपर सम्मन तथा स्पेशल मैसेन्जर के माध्यम से नोटिश किया गया परंतु विपक्षी मुकदमा को लंबित रखने की नियत से हाजिर नही हो रहे थे। अतः विपक्षी का आवेदन दिनांक 07.04.2025 को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

डी0बी0सिंह, प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, गोपालगंज
भरण–पोषण वाद सं0–143/2024
काजल कुमारी उर्फ छोटी कुमारी बनाम शत्रुधन कुमार साह
आदेश की तिथि – 12.08.2025

4. उभयपक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रस्तुत वाद दिनांक 19.06.2024 को दायर किया गया है तथा दिनांक 24.06.2024 को ग्रहण किया गया। आवेदिका द्वारा विपक्षी के उपस्थिति हेतु नोटिश निर्गत किया गया तथा उसका तामिला भी न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। पुनः दिनांक 23.07.2024 के आदेश द्वारा विपक्षी के विरूद्ध विशेष दूत से नोटिश करने हेतु आदेश दिया गया। इसके बावजूद विपक्षी उपस्थित नही हुए तो दिनांक 29.01.2025 के द्वारा प्रस्तुत वाद को एकपक्षीय सुनवाई हेतु नियत किया गया। आवेदिका साक्षी सं0–1 स्वयं आवेदिका काजल कुमारी उर्फ छोटी कुमारी एवं दिनांक 07.04.2025 को साक्षी सं0–2 बबीता देवी का परीक्षण हुआ। विपक्षी दिनांक 07.04.2025 को उपस्थित हुए तथा उनकी की ओर से कारण–पृच्छा, संपत्ति एवं दायित्व का शपथ पत्र एवं एकपक्षीय आदेश दिनांक 29.01.2025 को रिकॉल करने हेतु आवेदन दिया गया। तत्पश्चात प्रस्तुत वाद रिकॉल आवेदन पर सुनवाई हेतु निर्धारित है।

5. उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विपक्षी का आवेदन मो0 2,500/– रूपए खर्च पर स्वीकृत किया जाता है तथा एकपक्षीय आदेश दिनांक 29.01.2025 को रिकॉल किया जाता है। विपक्षी को निर्देश दिया जाता है कि अगलि तिथि को आवेदिका को मो0 2,500/– रूपए का भुगतान करें।

आवेदिका को निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 22.08.2025 को अपने साक्षियों को प्रतिपरीक्षण हेतु न्यायालय मे प्रस्तुत करें।

लेखा0,

प्र0न्या0